नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

जयराम बनाम प्रेमकुमार आदि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रा.सं. 113/2018

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली मालाना लोक अदालत कैम्प मेड़ कालीपहाड़ी में पेश हुई। कैम्प मेड़ में उपस्थित पार्टीगण को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पार्टीगण का बीमा क्लेम होने के पश्चात बीमा कम्पनी द्वारा पार्टीगण का गठित पंच नियुक्ति निपटारा किया जाता है। प्रकरण के निपटारे के लिए पक्षकारों ने कहा है तथा बाद समिति प्रतिवाद लेख गलत है एवं मुल बाद के जिम्मेदार है। निर्णय मालाना लोक अदालत कैम्प मेड़ कालीपहाड़ी के मामले आम में निपटाया जाना सुनाया गया।

जयराम

प्रेमकुमार

दामोदर

लोक अदालत

मेड़ता

राजस्व लोक अदालत एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मेड़ता जिला नागौर